राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र.:प.51 (2) ग्राविवि./जन आ.अभि/नियम/नरेगा/2010 — दिनांक: 31.10.2014

3 NOV 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान
समस्त राजस्थान।

विषय :– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारंटी (शिकायत को दूर करना) संशोधन नियम 2013 की प्रति भिजवाने के क्रम में।**

प्रसंग:– **इस कार्यालय का पत्र क्रमांक प.51 (2) ग्राविवि./जन आ.अभि/नियम/नरेगा/2010 दिनांक 21.03.2011**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जन अभाव अभियोग निराकरण नियम 2010 का संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन की अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी, 2014 को जारी कर राजस्थान राज–पत्र विशेषाक में दिनांक 18.07.2014 को प्रकाशित किया गया है। विशेषांक की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. समित शर्मा)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्राविपंरावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्राविपंरावि।
4. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
5. परि0 निदे0 एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
8. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
9. उप वन संरक्षक, ईजीएस।
10. अधिशाषी अभियंता (एन)/(वी)/(पी) ईजीएस।
11. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक, महात्मा गाधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
12. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक, महात्मा गाधी नरेगा, राजस्थान जयपुर/बाड़ेमर।
13. समस्त अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभियांत्रिकी जिला परिषद समस्त, ईजीएस। (e-mail)
14. श्री सीताराम मीणा, सहायक निदेशक, आईईसी, ईजीएस। (e-mail)
15. कार्यकम अधिकारी कम विकास अधिकारी समस्त राजस्थान। (e-mail)
16. श्री सूरजभान, स्टोरकीपीर को निर्देशित किया जाता है कि जिलों को आवंटित मार्गदर्शिकाऐ वितरित करने के पश्चात शेष बची पुस्तिकाऐं प्राप्त कर सुरक्षित रखवावें।
17. एमआईएस मैनेजर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट www.nrega.raj.nic.in पर अपलोड करावें। (circular)
18. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

E:\Vipin Choudhary\2014\Sangita Jain\Letter 2014.doc

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

आषाढ़ 27, शुक्रवार, शाके 1936–जुलाई 18, 2014
Asadha 27, Friday, Saka 1936–July 18, 2014

सत्यमेव जयते

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 23, 2014

जी.एस.आर. 11 :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 32 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (शिकायत को दूर करना) नियम, 2010 को संशोधित करने के लिए राजस्थान सरकार, द्वारा, (शिकायत को दूर करना) (प्रारूप संशोधन) के सबंध में सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु दिनांक 23 जनवरी, 2014 को अधिसूचित कर, दिनांक 31 जनवरी, 2014 को राजस्थान राज–पत्र विशेषांक में प्रकाशित करने के पश्चात्, प्राप्त हुए सुझाव एवं आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत, निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (शिकायत को दूर करना) (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन.**– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (शिकायत को दूर करना) नियम, 2010, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 के विद्यमान उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप–नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(3) शिकायत दूर करने वाला अधिकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद् (मुख्यालय), राजस्थान सरकार या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं सम्बन्धी किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त शिकायत को भी रजिस्टर करेगा। यदि जिला स्तरीय शिकायत दूर करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायत, पंचायत समिति स्तर की है

तो, वह शिकायत को रजिस्टर करेगा और उसे रजिस्टर करने और निरतारण के लिए सात दिन के भीतर संबंधित पंचायत समिति स्तर के शिकायत दूर करने वाले अधिकारी को अग्रेषित करेगा।"

3. नियम 5 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 5 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (3) के पश्चात् और विद्यमान उप–नियम (4) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप–नियम (3क) अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(3क) उपर्युक्त उप–नियम (3) के अधीन जांच करने पर शिकायत दूर करने वाले अधिकारी की यह राय है कि कोई वित्तीय अनियमितता या निधियों का गबन–

(i) किसी सरकारी सेवक या पंचायती राज संस्था के किसी कर्मचारी द्वारा कारित किया गया है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने और इस प्रकार गबन की गयी रकम या वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को कारित किसी हानि की वसूली के लिए मामले को सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

(ii) पंचायती राज संस्था के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा कारित किया गया है तो वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने और इस प्रकार गबन की गयी रकम या वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को कारित किसी अन्य हानि की वसूली के लिए मामले को सरकार को निर्दिष्ट करेगा।

(iii) किसी संविदा कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है तो वह ऐसे कर्मचारी या, यथास्थिति, व्यक्ति द्वारा निष्पादित संविदा के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करेगा और इस प्रकार गबन की गयी रकम या वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को कारित किसी हानि की वसूली के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन कार्यवाहियां आरंभ करेगा।"

4. नियम 6 का प्रतिस्थापन.–उक्त नियमों के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"6. शास्ति.– जो कोई भी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह दोषसिद्ध पर जुर्माने का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा।"

5. नियम 9 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 9 के विद्यमान उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप–नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(3) जिला कलक्टर और जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुक्त, रोजगार गारंटी स्कीम द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की मासिक स्थिति उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन गठित समिति द्वारा पुनर्विलोकन के लिए प्ररूप–4 में उपलब्ध करायेंगे।"

6. प्ररूप–4 का अन्तः स्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न, विद्यमान प्ररूप–3 के पश्चात्, निम्नलिखित नया प्ररूप–4 जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"प्ररूप–4

(नियम 9 देखिए)

शिकायतों के निस्तारण की मासिक स्थिति

जिला.................................. माह.......................

क्र. सं.	मूल प्रकरण प्राप्ति स्तर	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले माह तक लंबित शिकायतों की कुल संख्या	माह तक कुल लंबित शिकायतों की संख्या	निस्तारण की गयी शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या	
						एक माह से अधिक और तीन मास से कम	तीन माह से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राज्य स्तर						
2.	जिला स्तर						
3.	पंचायत समिति स्तर						
	कुल						

हस्ताक्षर

....

जिला कलक्टर और जिला कार्यक्रम समन्वयक,

[संख्या एफ51(2)ग्रावि/नरेगा/ज.अ.अ.निरा/नियम/10–11]

श्रीमत् पाण्डे,

प्रमुख शासन सचिव,

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग।

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 23, 2014

G.S.R. 11 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 32 of the Mahatma

Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005) to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Grievance Redressal) Rules, 2010, the Government of Rajasthan, after having published the (Grievance Redressal Rules) (Draft amendment), calling for objections and suggestions, Notified on 23rd January 2014 and published in Rajasthan Gazette Extraordinary dated 31st January 2014 and after having considered the suggestions received thereon, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Grievance Redressal) (amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 4.- After the existing sub-rule (2) of rule 4 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Grievance Redressal) Rules, 2010, herein after referred to as the said rules, the following new sub-rule (3) shall be added, namely:-

"(3) The Grievance Redressal Officer shall also register the complaint received from Ministry of Rural Development, Government of India, Rajasthan State Employment Guarantee Council (Headquarter), Government of Rajasthan or any other source regarding irregularities in the implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. In case complaint received by the District Level Grievance Redressal Officer, relates to the Panchayat Samiti level, he shall register the complaint and forward the same within seven days to the concerned Panchayat Samiti level Grievance Redressal Officer for registration and disposal."

3. Amendment of rule 5.- In rule 5 of the said rules,-

(i) after the existing sub-rule (3) and before the existing sub-rule (4), the following new sub-rule (3A) shall be inserted, namely:-

"(3A) If upon inquiry under sub-rule (3) above, the Grievance Redressal Officer is of view that there is any financial irregularities or embezzlement of funds is committed by-

(i) any government servant or employee of the Panchayati Raj Institution, he shall refer the matter to the Competent Authority for initiation of disciplinary action and recovery of amount so embezzled or any loss cause to the Government due to financial irregularities.

(ii) any Chairperson, Vice Chairperson or Member of the Panchayati Raj Institution, he shall refer the matter to the Government for initiation of action against him and recovery of amount so embezzled or any loss

cause to the Government due to financial irregularities as per the provisions of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(iii) any contractual employee or any other person, he shall take action as per the terms of contract executed by such employee or person, as the case may be, and initiate the proceedings under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and rules made there under for the recovery of amount so embezzled or any loss cause to the Government due to financial irregularities."

4. Substitution of rule 6.- The existing rule 6 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**6. Penalty.-** Whoever contravenes the provisions of the Act shall on conviction be liable to fine which extend to one thousand rupees."

5. Amendment of rule 9.- After the existing sub-rule (2) of rule 9 of the said rules, the following new sub-rule (3) shall be added, namely:-

"(2) The District Collector and District Programme Coordinator shall provide monthly status of disposal of complaints received to the Commissioner, Employment Guarantee Scheme in Form-IV for review by the committee constituted under sub-rule (1) above."

6. Insertion of Form-IV.- After the existing Form-III, appended to the said rules, the following new Form-IV shall be added, namely:-

"Form-IV

(See rule 9)

Monthly status of disposal of complaints

District------------------------------ Month ----------------

S. No.	Complaints level	Number of Complaints received in the month	Number of total Complaints pending up to last month	Number of total pending Complaints up to the month	Number of Complaints disposed off	Number of Complaints pending	
						more than one month and less than 3 months	more than three months
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	State Level						
2.	District Level						

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Panchayat Samiti Level						
	Total						

Signature--------------------

District Collector and District Programme Coordinator

[No. F.51(2)/RD/GR/Rules/NREGS/10-11]

श्रीमत् पाण्डे,

Principal Secretary,

Rural Development & Panchayati Raj Department.

Government Central Press, Jaipur.